निगरानी/टीए/62/2006/चुरू

भोजाराम बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री हगामीलाल, अभिभाषक प्रार्थी।
श्री समीर अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी।

दिनांक : 11–09–2025

निर्णय

यह निगरानी न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–11–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चुरू के समक्ष अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपना कब्जा बताते हुए पेश किया उक्त दावे का प्रार्थी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं जवाब दावे के पश्चात तनकीयात कायम होकर नॉन पीटीशनर वादी को सहादत देते हुए कई अवसर दिए गए परन्तु वादी द्वारा सहादत प्रस्तुत नहीं की गई और सहादत वादी बन्द हो जाने के बाद दावा अंतिम बहस में नियत था तब अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त वाद को साक्ष्य सबूत नहीं होने की अवस्था में उक्त वाद पत्र विड्रो करने हेतु नए वाद की स्वीकृति के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो प्रथमदृष्ट्या संधारण योग्य नहीं था एवं आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों की परिधि में नहीं आता था, कारण कि वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु किसी भी प्रकार की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और जब वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभाव में खारिज होने का अन्देशा होने पर उक्त वाद विड्रो नए वाद की स्वीकृति के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो सद्भाविक नहीं था जिसे अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित कर कि कोई भी वादी पक्ष पूर्व कारणों से या पूर्व कारणों पर या नया वाद हेतुक उत्पन्न होने पर नया दावा तो लाया ही जा सकता है चाहे उसका भविष्य उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो अंकित कर निर्णय पारित किया गया। उनका तर्क है कि वादी विवादित आराजी पर बतौर खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है और उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को जानते हुए भी अप्रार्थी ने विवादित आराजीयात पर अपना कब्जाकाश्त खातेदारी ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 23 नियम 1(3) जा0दी0 का प्रार्थनापत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने वाद विचारण अवधि में विवादित आराजी पर कब्जा कर लिया है एवं वादी वाद में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली की रिलिफ व तमलीकनामा व विक्रय पत्र को मन्सूखी करवाने की रिलीफ नहीं मांगी गई। ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का दावा मन्सूखी तमलीकनामा व बैनामें का दावा पेश करना निहायत आवश्यक हो गया जबकि वादी को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही यह जानकारी में था कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है एवं तमलीकनामा व विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई जिसे आधार मानकर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जिसे अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं कर उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के विपरित निर्णय पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किए जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–11–2005 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 28–04–2025 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किए जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 26–11–2005 उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वर्णित किया है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट/वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करके प्रार्थनापत्र दिनांक 26–04–2005 को स्वीकार कर नया वाद लाने की स्वीकृति दी जाती है, उसके अनुसार निर्णय दिया गया है जो विधिसम्मत है। निगराकार अपनी आपत्ति अन्य वाद पेश होने पर उसका उज्र एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी निर्णित की जाती है एवं निर्देशित किया जा सकता है कि निगराकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उज्र एतराज अन्य वाद पेश होने पर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	